प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
<u>निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.</u>

प्रकरण संख्याः **217/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

शरद पण्ड्या कार्यालय अंदर की खबर समाचार पत्र, घंटाघर के पास, त्रिपोलिया रोड़, बांसवाड़ा, राज.

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

...................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 04/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329281450878576 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 3265793551 दिनांक 05.12.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/217/25/1255–56 दिनांक 05.12.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः सूचना दिलाये जाने का आदेश फरमावें।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ./सू.अ.अ./2005/2025/1897 दिनांक 30.12.2025 से न्यायालय को प्रत्युत्तर करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र में वर्णित कार्यालय हाजा से संबंधित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई थी। अब कोई भी सूचना उपलब्ध कराया जाना कार्यालय हाजा स्तर पर शेष नहीं है। अतः अतः प्रथम अपील को खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपने पत्रांक 1897 दिनांक 30.12.2025 अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दिये जाने से प्रकरण में अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.04 19:18:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21982047
M e-Sign